2009

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

माघ 14, मंगलवार, शाके 1930–फरवरी 3, 2009
Magha 14, Tuesday, Saka 1930–February 3, 2009

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूप) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 3, 2009

संख्या प. 2(4) विधि/2/2009.–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 जनवरी, 2009 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम संख्यांक 1)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 जनवरी, 2009 को प्राप्त हुई)

बीकानेर विश्वविद्यालय के नाम को परिवर्तित करने और बीकानेर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 में कतिपय संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इस अधिनियम का नाम बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह 2 अक्टूबर, 2008 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. **बीकानेर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन.**–(1) बीकानेर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 13), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के अधीन निगमित बीकानेर

Scanned by CamScanner

विश्वविद्यालय का नाम इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से "महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर" होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी अनुबंध, लिखत या अन्य दस्तावेजों में बीकानेर विश्वविद्यालय के प्रति किये गये किसी भी निर्देश को इस अधिनियम द्वारा उसके यथापरिवर्तित नाम से उस विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश के रूप में पढ़ा और अर्थान्वित किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम में की कोई भी बात उक्त विश्वविद्यालय की निगमित प्रास्थिति की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

3. **संशोधन.**– (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से मूल अधिनियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा तक और रीति से संशोधित हो जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के उपबंध धारा 2 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

4. **मूल अधिनियम का प्रोद्धरण.**– मूल अधिनियम को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 के रूप में प्रोद्धृत किया जायेगा।

5. **निरसन और व्यावृत्तियां.**–(1) बीकानेर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश सं. 11) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

धारा 1.– उप–धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बीकानेर विश्वविद्यालय, अधिनियम" के स्थान पर अभिव्यक्ति "महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम" प्रतिस्थापित की जायेगी।

Scanned by CamScanner

धारा 2.– खण्ड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(ठ) "विश्वविद्यालय" से महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अभिप्रेत है।"।

धारा 3.– उप–धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बीकानेर विश्वविद्यालय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

एस. एस. कोठारी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, February 3, 2009

No. F.2(4)Vidhi/2/2009.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution on India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the Enlish language of the Bikaner Vishwavidhyalaya (Nam Parivartan) Adhiniyam, 2009 (2009 Ka Adhiniyam Sankhyank 1):-

(Authorised English Translation)

THE UNIVERSITY OF BIKANER (CHANGE OF NAME) ACT, 2009
(Act No. 1 of 2009)

(Received the assent of the Governor on the 31st day of January, 2009)

An
Act

to change the name of the University of Bikaner and to make certain amendments in the University of Bikaner Act, 2003.

Now, therefore, be it enacted by the Rajasthan State Legislature

Scanned by CamScanner

2009

in the Fifty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.– (1) This Act may be called the University of Bikaner (Change of Name) Act, 2009.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 2nd October, 2008.

2. Change of name of the University of Bikaner.– (1) The name of the University of Bikaner incorporated under the University of Bikaner Act, 2003 (Act No. 13 of 2003), hereinafter referred to as the principal Act, shall, as from the date of commencement of this Act, be "The Maharaja Ganga Singh University, Bikaner".

(2) Any reference to the University of Bikaner in any law for the time being in force or in any indenture, instrument, or other documents shall be read and construed as a reference to that University under its name as altered by this Act.

(3) Nothing in this Act shall affect the continuity of the corporate status of the said University.

3. Amendment.– (1) As from the date of commencement of this Act, the principal Act shall stand amended to the extent and in the manner specified in the schedule.

(2) The provisions of sub-section (1) shall be without prejudice to the generality of the provisions of section 2.

4. Citation of the principal Act.– The principal Act may be cited as the Maharaja Ganga Singh University, Bikaner Act, 2003.

5. Repeal and savings.– (1) The University of Bikaner (Change of Name) Ordinance, 2008 (Ordinance No. 11 of 2008) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amendment by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

Scanned by CamScanner

THE SCHEDULE

(See section 3)

Section 1. – In sub-section (1), for the existing expression "The University of Bikaner Act", the expression "The Maharaja Ganga Singh University, Bikaner Act" shall be substituted.

Section 2. – For clause (l), the following clause shall be substituted, namely:–

"(l) "University" means The Maharaja Ganga Singh University, Bikaner".

Section 3. – In sub-section (1), for the existing expression "The University of Bikaner", the expression "The Maharaja Ganga Singh University, Bikaner" shall be substituted.

एस. एस.-कोठारी,

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

Scanned by CamScanner